

भारत के राजपत्र
भाग-दो, खण्ड -3, उप खण्ड -(I)में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार

अधिसूचना

नई दिल्ली, जून, 2019

सा.का.नि. केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 के उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन संवर्ग) भर्ती नियम 2014 में संशोधन करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -
 - (1) इन नियमों का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन संवर्ग), भर्ती संशोधन नियम 2019 कहा जाएगा।
 - (2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी, ट्रेड्समैन संवर्ग) भर्ती नियम, 2014 में :-
 - (ए) नियम-4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।”
 - (बी) अनुसूची में :-
 - (ए) (i) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक(सामान्य ड्यूटी) संवर्ग के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर”
(4)
स्तर-6
“ (35400 से 112400/-रूपये)”;

- (ii) स्तंभ (11)में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए
- (ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(बी) स्तंभ (4) में, निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“ स्तर –7 (44900 से 142400/- रूपये)”

(ii) स्तंभ (11) में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए

(ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(सी) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक (आरमोरर) तकनीकी संवर्ग से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“ स्तर –6 (35400 से 112400/- रूपये)”

(ii) स्तंभ (11) में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए

(ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(डी) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“ स्तर –6 (35400 से 112400/- रूपये)”

(ii) स्तंभ (11) में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए

(ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(ई) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक (मोटर ट्रांसपोर्ट) पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“ स्तर –6 (35400 से 112400/- रूपये)”

(ii) स्तंभ (11) में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए

(ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(एफ) स्तंभ (4) में, निरीक्षक (आरमोरर) पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“ स्तर –7 (44900 से 142400/- रूपये)”

- (ii) स्तंभ (11) में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए
(ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(जी) स्तंभ (4) में, निरीक्षक (मोटर ट्रांसपोर्ट) पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“ स्तर -7 (44900 से 142400/- रूपये)”

- (ii) स्तंभ (11) में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए
(ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(एच) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक (दर्जी) पद से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“ स्तर -6 (35400 से 112400/- रूपये)” ;

- (ii) स्तंभ (11) में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए
(ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(आई) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक (ब्रास बैंड) पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“ स्तर -6 (35400 से 112400/- रूपये)” ;

- (ii) स्तंभ (11) में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए
(ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(जे) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक (पाईप बैंड) पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“ स्तर -6 (35400 से 112400/- रूपये)” ;

- (ii) स्तंभ (11) में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए
(ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(के) स्तंभ (4) में, निरीक्षक (बैंड) पद से संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“ स्तर -7 (44900 से 142400/- रूपये)”

- (ii) स्तंभ (11) में, “ टिप्पण” शीर्षक के अंतर्गत मद (2) के लिए
(ए) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि और “ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(एफ सं0 एम.पांच-1/2019-स्था.-7वां सीपीसी)

(ललित कपूर)
उप सचिव (कार्मिक-II)

टिप्पण :- भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में तारीख 05 फरवरी, 2014 के अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 88 (ई), के द्वारा मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात तारीख 21 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 899(ई) के द्वारा संशोधित किया गया।